18/5/18 [illegible]
[illegible] मीटिंग में जालोर पधारे हैं।
आज अधिकारी [illegible] उनके अवकाश ता. 22/5/18
को [illegible] पेश हो।
22/5/18

...5/18 पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत कोर कैम्प मुडतरासिली पेश हुई। प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत पेश किया वादग्रस्त आराजी मौजा मुडतरासिली के खातेदारी आराजी पुराने ख०न० 614 रकबा 3 बिघा 16 बिस्वा ख०न० 615 रकबा 3 बिघा 14 बिस्वा जुमले रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा स्थित है जिसके नये ख०न० 1151 रकबा 1.16 हैक्टर सृजित हुये। जिसका अप्रार्थी स०2 गिरधारीलाल ने वादग्रस्त आराजी का बेचान दस्तावेज दिनांक 11.7.83 को प्रार्थी के पक्ष में निष्पादित किया जो उप पंजीयक भीनमाल द्वारा दिनांक 22.08.83 को पंजीबद्ध हुआ। अप्रार्थी स०2 गिरधारीलाल

सहायक कलेक्टर, जसवन्तपुरा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहमकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	द्वारा विवादित आराजी का बेचान प्रार्थी के हक मे रजिस्टर्ड करवाया तथा अप्रार्थी स० 2 व 3 को किमत रोकड़ अदा कर दिया था तथा सम्पूर्ण विवादित आराजी पर प्रार्थी का मौके पर कब्जा काश्त चला आ रहा है अप्रार्थी स०3 नारायणलाल द्वारा अपने हिस्से की आराजी को प्रार्थी के हक मे पंजीबद्ध नही करने से प्रार्थी के हक मे म्युटेशन नही हो सका। अप्रार्थी स०1 के हक मे दिनांक 5/5/2006 को दुबारा बेचान प्रार्थी के विरुद्ध शुन्य अवैध एव बेअसर है उक्त बेचान से अप्रार्थी स०1 को वादग्रस्त आराजी बाबत कोई अधिकार प्राप्त नही होते है अतः अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे। अप्रार्थी स०1 मु० चौथी देवी जवाब पेश किया कि अप्रार्थी स०2 व 3 द्वारा प्रार्थी को बेचान कर 4000/- रुपये प्राप्त करने की बात अप्रार्थीया के ज्ञान अनुसार झूठी है प्रार्थी का कभी भी कब्जा काश्त नही रहा। प्रार्थी ने अगर आराजी को खरीद किया होता तो वह आराजी का नामान्तरकरण करवाता	

सहायक कलेक्टर, जसवन्तपुरा
जिला-जालोर (राज.)

तारीख हुक्म

तथा उक्त दस्तावेज नारायणलाल के जीवनकाल मे अथवा उसकी मृत्यु के 15 साल तक कभी भी सार्वजनिक नही किया गया प्रार्थी के हक मे अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। हमने प्रकरण अवलोकन किया प्रार्थी वर्तमान मे राजस्व रेकर्ड मे खातेदार सहखातेदार नही है। कब्जा काश्त के सम्बन्ध मे कोई ठोस दस्तावेज पेश नही किया ऐसी स्थिति मे प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष मे नही बनता है। चुकि वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध मे न्यायालय हाजा मे खातेदारी हक का वाद विचाराधीन है जो साक्ष्यो एव दस्तावेज प्रमाण से विधिसम्मत निर्णय पारित किया जा सकेगा। ऐसी स्थिति मे उक्त मामले मे अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का अस्वीकार किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 22.5.18 को राजस्व लोक अदालत कोर्ट कैम्प मुड्तरासिली सुनाया गया। ह०

सहायक कलेक्टर, जसवन्तपुरा
जिला-जालोर (राज.)

Scanned by CamScanner